



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1358

दिनांक-04.08.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.10.2024 को वादिनी मुकदमा पूनम पुत्री श्री श्याम सुन्दरलाल वर्तमान पता- 3/175 विशालखण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थायी पता – 02 डी0 एम0 आर0 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ की लिखित तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्तगण द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी बैनामा किये जाने के आधार थाना वजीरगंज लखनऊ पर मु० अ० सं०- 327/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ बनाम रमेश आदि पंजीकृत हुआ।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होने पर अभियुक्त देवीदयाल पुत्र द्वारिका नि० सैदापुर मडवाना लखनऊ उम्र 60 वर्ष का नाम प्रकाश में लाया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त देवीदयाल पुत्र द्वारिका नि० सैदापुर मडवाना लखनऊ उम्र 60 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 03.08.2026 को 17.15 बजे काकराबाद चौराहे के पास थाना माल लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त देवीदयाल पुत्र द्वारिका नि० सैदापुर मडवाना लखनऊ द्वारा बताया गया कि मेरे साथियो द्वारा मुझे लालच देकर बैनामा करा लिया गया था।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-देवीदयाल पुत्र द्वारिका नि० सैदापुर मडवाना लखनऊ उम्र 60 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु०अ०सं०- 327/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ०नि० श्री विनोद कुमार सिंह थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ०नि० श्री प्रद्युमन कुमार सिंह थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
4. का० विजयपाल थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1358

दिनांक-04.08.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.10.2024 को वादिनी मुकदमा पूनम पुत्री श्री श्याम सुन्दरलाल वर्तमान पता- 3/175 विशालखण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थायी पता – 02 डी0 एम0 आर0 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ की लिखित तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्तगण द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी बैनामा किये जाने के आधार थाना वजीरगंज लखनऊ पर मु० अ० सं०- 327/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ बनाम रमेश आदि पंजीकृत हुआ।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होने पर अभियुक्त देवीदयाल पुत्र द्वारिका नि० सैदापुर मडवाना लखनऊ उम्र 60 वर्ष का नाम प्रकाश में लाया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त देवीदयाल पुत्र द्वारिका नि० सैदापुर मडवाना लखनऊ उम्र 60 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 03.08.2026 को 17.15 बजे काकराबाद चौराहे के पास थाना माल लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त देवीदयाल पुत्र द्वारिका नि० सैदापुर मडवाना लखनऊ द्वारा बताया गया कि मेरे साथियो द्वारा मुझे लालच देकर बैनामा करा लिया गया था।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-देवीदयाल पुत्र द्वारिका नि० सैदापुर मडवाना लखनऊ उम्र 60 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु०अ०सं०- 327/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ०नि० श्री विनोद कुमार सिंह थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ०नि० श्री प्रद्युमन कुमार सिंह थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
4. का० विजयपाल थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1359

दिनांक-04.08.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर कूटरचित बैनामा कराने के मामले में प्रकाश में आए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2025 को वादी श्री मनोज पाठक पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ पाठक निवासी फ्लैट नं 110 जीबी मार्ग नाका सुक्रत एन्क्लेव पुराना आर टी ओ ओफिस थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ की लिखित तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्तगण द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी बैनामा किया जाने जाने के आधार थाना वजीरगंज लखनऊ पर मु0अ0सं0- 232/2025 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ बनाम 01.रजिस्टर पुत्र रामदास निवासी-सीतापुर रोड लखनऊ हाल निवासी-ग्राम सीपतपुर, थाना-थानगांव जिला-सीतापुर आदि पंजीकृत हुआ।

विवेचना से वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होने पर अभियुक्त पैकरमा पुत्र गोकर्न निवासी ग्राम बनियनपुरवा विलासपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर का नाम प्रकाश में लाया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त पैकरमा पुत्र गोकर्न उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 03.08.2026 को 20.05 बजे बेहटा चौराह थाना क्षेत्र गुडम्बा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त पैकरमा उपरोक्त द्वारा बताया गया कि रजिस्टर पुत्र रामदास उपरोक्त द्वारा एक दिन हमें लखनऊ लेकर गये व हमसे हस्ताक्षर करवा लिए मैं ज्यादा पढा लिखा व्यक्ति नहीं हूं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-पैकरमा पुत्र गोकर्न निवासी ग्राम बनियनपुरवा विलासपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर उम्र करीब 48 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0- 232/2025 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री विकास बाबू थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री हैप्पी दिवाकर थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 प्रेमचन्द्र यादव थाना वजीरगंज लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0- 1356

दिनांक- 04.08.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- थाना मडियांव एवं सर्विलांस / क्राइम टीम डीसीपी उत्तरी जोन लखनऊ संयुक्त पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 06 घण्टे के अन्दर अपहृत/बच्चे को सकुशल बरामद किया गया तथा अपहरणकर्ता अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01-कार्यवाही।

दिनांक 3/4.08.2026 को थाना स्थानीय को आवेदिका उम्र करीब 35 वर्ष मुकदमा वादिनी की जान-पहचान इंस्टाग्राम पर विपक्षी से होने के बाद विपक्षी द्वारा शादी करने का दबाव बनाने व शादी न करने पर विपक्षी द्वारा फोन पर अंजाम भुगतने की धमकी देने व वादिनी के पुत्र उम्र करीब 11 वर्ष को लेकर चले जाने व आसंका है कि कहीं उसके पुत्र को मार न देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 374/26 धारा 351(2)/140(1) बीएनएस बनाम 1. अजय यादव पुत्र छन्नू लाल यादव निवासी प्रधान पुरवा सीतापुर के पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.08.2026 को थाना मडियांव तथा अपराध शाखा उत्तरी जोन लखनऊ की द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृत बच्चे उम्र करीब 11 वर्ष को मात्र 06 घण्टे के अन्दर ग्राम चुलम्भा कैसरगंज जनपद बहराइच से सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त अजय यादव उर्फ छन्नू लाल यादव पुत्र रामलखन निवासी- ग्राम भिरवा थाना गोपचांदपुर जनपद बहराइच उम्र करीब 25 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।

03.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त वादिनी मुकदमा पर शादी करने का दबाव बनाना व शादी न करने पर विपक्षी द्वारा फोन कर अंजाम भुगतने की धमकी देना व वादिनी के पुत्र उम्र करीब 11 वर्ष का अपहरण कर लेना।

04.गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अजय यादव उर्फ छन्नू लाल यादव पुत्र रामलखन निवासी- ग्राम भिरवा थाना गोपचांदपुर जनपद बहराइच उम्र करीब 25 वर्ष (व्यवसाय – सेंट्रिंग का काम)

05. बरामदगी का विवरण:-

➤ बच्चा उम्र करीब 11 वर्ष।

07. गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार पाण्डेय
3. उ0नि0 जोशी रघुवंशी
4. का0 अर्जुन सिंह
5. का0 विकास सरोज

सर्विलांस टीम / क्राइम टीम डीसीपी उत्तरी लखनऊ

01. प्रभारी उ0नि0 श्री दीपक राणावत
02. हे0का0 अवधेश गिरी
03. हे0का0 मो0 नदीम
04. हे0का0 संतोष कुमार
05. हे0का0 अमित गौतम
06. का0 विषेश दुहूण
07. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह
08. का0 अमन शुक्ला